बजट
2014-2015
की
मुख्य विशेषताएं

10 जुलाई, 2014

बजट 2014-2015 की मुख्य विशेषताएं

विद्यमान आर्थिक स्थिति और चुनौतियां

- परिवर्तन की दिशा में निर्णायक मतदान लोगों की विकास करने, खुद को गरीबी के अभिशाप से मुक्त करने और समाज के द्वारा उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने की इच्छा को दर्शाता है। देश बेरोजगारी, अप्रर्याप्त मूलभूत सुविधाओं, अभावग्रस्त बुनियादी संरचना और भाव शून्य शासन को सहने के मूड में नहीं है।

- इन चुनौतियों का कारण 5 प्रतिशत विकास दर और द्वि-अंकीय मुद्रास्फीति हैं।

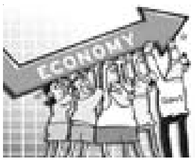

- कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में जारी मंदी स्थायी वैश्विक भरपाई के रास्ते का जोखिम बनी हुई है।

- 2013 तथा 2014 में विश्व अर्थव्यवस्था के अनुमानित विकास दर की रिकवरी 3.6 प्रतिशत देखी गई है।

- देश की दशा और दिशा के निर्धारण के संबंध में स्पष्ट नीतिगत संकेतकों को दर्शाने वाला एनडीए सरकार का पहला बजट।

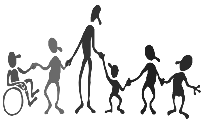

- घोषित उपाय, वृहत-आर्थिक स्थायित्व के साथ-साथ अगले 3-4 वर्ष में 7.8 प्रतिशत की स्थिर विकास दर की दिशा में किए जाने वाले सफर की शुरूआत है।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उनके जनादेश "सबका साथ सबका विकास" के नेतृत्व में सरकार की विकास-परक कार्यनीतियों में जनता की प्रत्याशा परिलक्षित होती है।

- विनिर्माण और अवसंरचना के क्षेत्र में विकास बहाल करने की जरूरत।

- कर से जीडीपी अनुपात में सुधार और कर-भिन्न राजस्व वृद्धि होनी चाहिए।

घाटा और मुद्रास्फीति

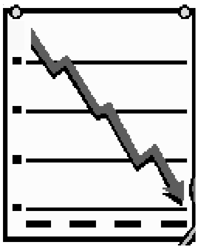

- 2011-12 से राजकोषीय घाटा 5.7 प्रतिशत घटकर 2013-14 तक 4.5 प्रतिशत रह गया। यह मुख्यतः उच्चतर राजस्व वसूली की तुलना में घटते हुए व्यय के कारण रहा।

- 2012-13 में चालू खाता घाटे में 4.7 प्रतिशत से सुधार रहा जोकि वर्ष के अंत में 1.7 प्रतिशत रह गया। यह गैर-जरूरी आयातों और कुल मांग में व्याप्त मंदी के कारण हुआ। सीएडी पर नजर रखने की जरूरत।

- 4.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटा पिछले दो वर्षों के निम्नत्तर जीडीपी विकास, स्थिर औद्योगिक विकास दर, अप्रत्यक्ष करों में धीमी वृद्धि, सब्सिडी के बोझ और उत्साहहीन कर उछाल की पृष्ठभूमि में निराशाजनक अनुभव है।

- सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध राजकोषीय समेकन के खाते में 2015-16 में 3.6 प्रतिशत और 2016-17 में 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान।
- हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक में धीरे-धीरे होने वाली कमी से मुद्रास्फीति अपने उच्चतर स्थिति में।

- काले धन की समस्या से पूरी तरह निपटा जाना जरूरी।
- आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और अर्थ-व्यवस्था में तीव्र इजाफा, दोतरफा उपाय किए जाने की जरूरत।

प्रशासनिक उपाय

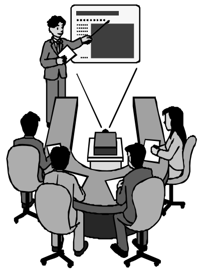

- अर्थव्यवस्था संबंधी प्रत्येक ऐसे उपाय के प्रभाव तथा समग्र निवेश महौल को ध्यान में रखते हुए अत्यन्त सावधानी और उचित प्रकार से प्रयोग किए जाने वाले पिछली तारीख से विधायन के लिए सरकार का सम्प्रभु अधिकार।
- स्थिर और पूर्व निर्धारणीय कर व्यवस्था जो निवेशक अनुकूल और तीव्र विकासकारी हो।
- विवाद और मुकदमेबाजी में ₹4 लाख करोड़ से अधिक की बकाया कर मांगों को निपटाने के लिए कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तन करना।

- निवासी करदाता जो परिभाषित प्रारम्भिक सीमा से ऊपर अपने आवास के देनदारी के सम्बन्ध में अग्रिम नियम जोन में असमर्थ है, अग्रिम नियम जोन में असमर्थ है, अग्रिम निवल जोन में समर्थ।
- अग्रिम नियम प्राधिकरण को सुदृढ़ करने के उपाय।
- आयकर निपटान आयोग का कार्यक्षेत्र विस्तारित करना।
- हिन्दूपुर आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क अकादमी

- हाशिए पर रह रहे निर्धनों आ.जा./अ.ज.जा. के पूर्ण संरक्षण के लिए सब्सिडी व्यवस्था को ज्यादा लक्षित बनाया गया है।
- नई यूरिया नीति तैयार की जाएगी।
- जीएसटी को लागू करने पर जोर देना।
- व्यापार और उद्योग के साथ नियमित आधार पर उच्चतरीय समिति संर्पक करेगी जो कर कानूनों में स्पष्टता के लिए अपेक्षित है।

- भारतीय कंपनियों द्वारा नये भारतीय लेखाकरण मानक अपनाकर अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक का अभिसरण।
- व्यय सुधार संबंधी मामलों को देखने के लिए व्यय प्रबंधन आयोग का गठन।
- रोजगार कार्यालयों को कैरियर केंद्रों के रूप में कायांतरित किया गया है इसके लिए ₹100 करोड़ दिए गए है।

आर्थिक पहले

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

- सरकार चुनिंदा क्षेत्रों में एफडीआई को बढ़ावा देगी।
- एफआईपीबी मार्ग के जरिए पूर्ण भारतीय प्रबन्ध और नियंत्रण के चलते विदेशी निवेश की मिश्रित सीमा बढ़ाकर 49% करना।
- पूर्व भारतीय प्रबंधन और एफआईपीबी रूट के द्वारा नियंत्रण के जरिए बीमा क्षेत्र में कम्पोजित कैप 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करना।

- स्मार्ट नगरों के विकास के लिए एफडीआई की बिल्डअप क्षेत्र की अपेक्षाओं और पूंजीस्थितियों को घटाकर क्रमशः 50,000 वर्ग मी. से 20,000 वर्ग मी. करना और 10 बिलियन अमेरिकी डालर से घटाकर 5 बिलियन अमरीकी डालर करना।
- विनिर्माण इकाइयों को अपने उत्पाद ई-कामर्स प्लेटफार्मों सहित खुदरा तौर पर बेचने की अनुमति।

बैंक पूंजीकरण

- बासेल- मानकों के अनुरूप 2018 तक हमारे बैंकों में इक्विटी के रूप में ₹2,40,000 करोड़ के पूंजीकरण की जरूरत।
- चरणबद्ध रूप से जनता की शेयरधारिता के जरिए बैंकों में पूंजी को बढ़ाए जाने की जरूरत।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पूंजी व्यय

- चालू वित्त वर्ष में पूंजी निवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को कुल ₹ 2,47,941 करोड़ की राशि का निवेश करेंगे।

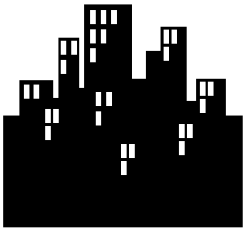

स्मार्ट शहर

- "सौ स्मार्ट शहरों" के विकास की परियोजना के लिए चालू राजकोष में ₹ 7060 करोड़ की राशि मुहैया कराई जाएगी।

रीयल एस्टेट

- रीयल एस्टेट निदेश ट्रस्ट (आरईआटीएस) के लिए प्रोत्साहन। कराधान के प्रयोजन से पूर्ण पास थ्रू।
- अवसंरचना निवेश न्यास के रूप में अवसंरचना परियोजनाओं हेतु आशोधित आरईआईटीएस की तरह संरचना
- ये दो लिखते एनआरआई सहित विदेशी और घरेलू स्रोतों से दीर्घावधिक वित्त पोषण जुटाने के लिए।

सिंचाई

- ❑ सुनिश्चित सिंचाई हेतु "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" के लिए ₹ 1000 करोड़ दिया गया।

ग्रामीण विकास

- ❑ ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन।
- ❑ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु फीडर सिपेरेशन के लिए "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" के लिए ₹ 500 करोड़।
- ❑ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ₹14,389 करोड़ दिया गया।

- ❑ मनरेगा के अंतर्गत अधिक उत्पादक, आस्ति सृजन और कृषि सम्बद्ध क्रियाकलाप दिहाड़ी रोजगार दिया जाएगा।
- ❑ आजिविका के अन्तर्गत महिला स्व-सहायता समूहों के लिए 4% पर बहैंक ऋण के प्रावधान को और 100 जिलों तक बढ़ाया गया।

- ❑ "ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम आरंभ करने के लिए आरंभ में ₹100 करोड़ ताकि ग्रामीण युवकों को स्थानीय उद्यमिता कार्यक्रम शुरू करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।
- ❑ राष्ट्रीय आवास बैंक का आवंटन ग्रामीण आवास सहायता हेतु ₹8000 करोड़ बढ़ाया गया।

- ❑ नया कार्यक्रम "नीरांचल" आरंभिक 2142 करोड़ के परिव्यय के भीतर देश में जल संभरन विकास को गति देने के लिए।
- ❑ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का अन्तर जिला असमानता के समाधान हेतु पुनर्गठन

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

- ❑ अनुसूचित जाति योजना के अंतर्गत 50,548 करोड़ तथा जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत 32,387 करोड़ देने का प्रस्ताव है।
- ❑ जनजाति के कल्याण के लिए "वन बन्धु कल्याण योजना" 100 करोड़ के आरंभिक आबंटन के साथ शुरू की गई।

वरिष्ठ नागरिक/विकलांग व्यक्ति

- ❑ 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले नागरिकों के लाभ के लिए 15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015 तक सीमित अवधि के लिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की पुनर्बहाली की जाएगी।
- ❑ समिति जांच करेगी और सिफारिश करेगी कि पीपीएफ, डाकघर, बचत स्कीमों की दावा न की जाने वाली राशि तथा वरिष्ठ नागरिकों के वित्तीय हित किस प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं।

- ईपी स्कीमें सभी अंशदाता सदस्यों से सरकार ने ₹1000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन अधिसूचित की है, इसका आरम्भिक प्रावधान ₹250 करोड़ है।

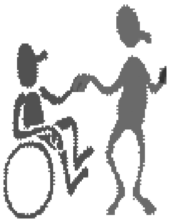

- अंशदान की अनिवार्य नेज सीमा बढाकर ₹15000 की गई है। चालू बजट में ₹250 करोड़ का प्रावधान।

- अंशदान की अनिवार्य नेज सीमा बढाकर ₹15000 की गई है। चालू बजट में ₹250 करोड़ का प्रावधान।

- एपको सभी अंशदायी संदायों की सेवा के लिए ''समान खाता संख्या जारी करेगा।

- यूनीवर्सल डिजाइन, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर संस्थान और निशक्तता खेलों के लिए एक केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

- 15 नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना तथा 10 मौजूदा ब्रेल प्रेसों में आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को सहायता।

- दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लाभार्थ मुद्रा नोट पर ब्रेल लिपि में भी चिन्हांकित करेगी।

महिला एवं बाल विकास

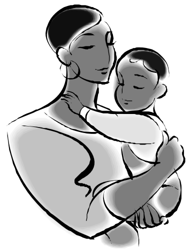

- "सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा" हेतु ₹500 करोड़ के परिव्यय से एक प्रायोजिक परीक्षण स्कीम।

- बड़े नगरों में महिलाओं की सुरक्षा बढाने की स्कीम के लिए ₹150 करोड़ की राशि।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी जिलों में इस वर्ष सरकारी तथा निजी अस्पताल तथा "संक्त प्रबधन केंद्र।

- महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता व उनके सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाने व सहायता हेतु "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं" योजना हेतु ₹100 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई।

- लैगिंक मेनस्ट्रीलिंग पर अलग से के अध्यय हेतु स्कूल मे गतिविधि।

पेयजल एवं स्वच्छता

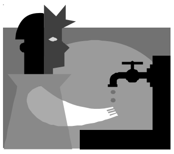

- आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी विषेले पदार्थों कीटनाशकों/उर्वरकों से प्रभावित 20,000 बसावटों को अगले तीन वर्षो में सामुदायिक जल सुदृढ़ीकरण सयंत्रों द्वारा साफ और सुरक्षित पेयजल मुहैया कराया जाएगा।

- 5 प्रत्येक धर को 2019 तक सैनिटेशन सुविधा उपलब्ध करने के लिए "स्वच्छ भारत अभियान"।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

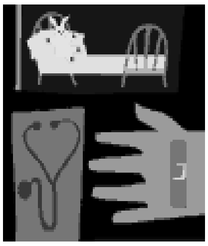

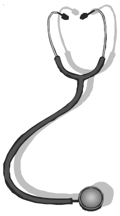

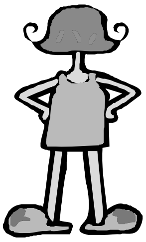

- "सबके लिए स्वास्थ्य" प्राप्त करने के लिए निःशुल्क दवा सेवा तथा निःशुल्क निदान सेवा।
- भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और मद्रास मेडिकल कालेज चेन्नई में आयु सम्बन्धी दो राष्टआय संस्थान स्थापित किए जाएगें।
- उच्चतर दंत चिकित्सा के लिए राष्टोय स्तर का अनुसंधान और रेफरल संस्थान स्थापित किया जाएगा।
- आंध्र प्रदेश, पं.बंगाल, महाराष्ट्र में विदर्भ और उत्तर प्रदेश में पूर्वाचल में भारतीय आर्यविज्ञान संस्थान संस्थान वाले जाएंगे इसके ₹500 करोड़ के प्रावधान।
- 12 नए सरकारी मेडिकल कालेजों की स्थापना
- नई ड्रग परीक्षण प्रयोगशालाओं के सृजन के साथ राज्य दवा विनियामक तथा खाद्य विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण होगा तथा 31 मौजूदा राज्य प्रयोगशालाओं को भी सुदृढ़ किया जाएगा।
- ग्रामीण आबादी की देखभाल के लिए स्थानीय स्वास्थ्य मामलो पर शोध व अनुसंधान के लिए 15 माडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्रों की स्थापना।
- छः महीनों के भीतर भारत में कुषोषण की स्थिति से निपटने के लिए मिशन रूप में राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाएगा।

शिक्षा

स्कूली शिक्षा

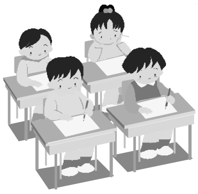

- पहले चरण में सभी बलिका विद्यालयों में शौचालय और पेयजल सुविधा मुहैया कराएगी, इसमें सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के लिए ₹ 28635 करोड़ तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के लिए ₹ 4966 करोड़ की राशि वित्तपोषित की जा रही है।
- ₹30 करोड़ की आरिम्भक लागत से स्कूल आकलन कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा।
- नए प्रशिक्षण साधन लगाने और अध्यापकों के प्रोत्साहन हेतु "पंडित मदनमोहन मालवीय नए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम" हेतु ₹500 करोड़ उपलब्ध कराए गए।
- ज्ञान बढ़ाने और आनलाइन पाठ्यक्रमों हेतु संचार से जुड़ी प्रणाली के रूप में वास्तविक कक्षाओं की स्थापना हेतु ₹100 करोड़ उपलब्ध कराए गए।

उच्च शिक्षा

- मध्य प्रदेश में जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्रप्रदेश और केरल में 5 और आईआईटी की स्थापना हेतु ₹500 करोड़ उपलब्ध कराए गए।
- हिमाचल प्रदेश, पजांब, बिहार, ओडिसा और राजस्थान में 5 आईआइएम।
- उच्च अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण सुसाध्य बनाने के मानदंडों का सरलीकरण।

सूचना प्रौद्योगिकी

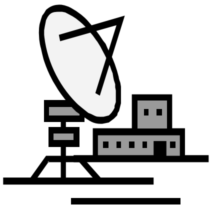

- ₹500 करोड़ के परिव्यय समुचे भारत का कार्यक्रम "डिजीटल इंडिया"।
- "सुशासन" उन्नयन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ₹100 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई।

सूचना और प्रसारण

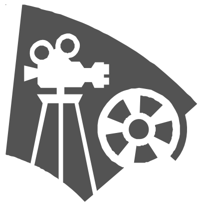

- 600 नए और विद्यमान कम्युनिटी रेडियो हेतु ₹100 करोड़ आवंटित।
- फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूणे और सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा देने का प्रस्ताव और 'एनीमेशन, गेमिंग और स्पेशल इफेक्ट्स' में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- नई कृषि तकनीकों, जल संरक्षण, जैविक कृषि जैसे विषयों पर किसानों को वास्तविक समय की जानकारी के प्रचार हेतु किसान टीवी को ₹100 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं।

शहरी विकास

- सरकार का अवलोकन है कि पीपीपी के जरिए अगले 10 वर्ष में अवसंरचना और सेवाओं के नवीकरण हेतु 500 शहरी बसावटों को सहायता उपलब्ध कराई जाए।
- वर्तमान पूलबद्ध नगरपालिका ऋण देयता सुविधा निधि ₹5000 करोड़ से बढ़ाकर ₹50,000 करोड़ की जाए।
- लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजनाओं के लिए ₹100 करोड़ उपलब्ध कराए गए।

आवास

- लोगों विशेषकर युवाओं को अपने घर के लिए प्रोत्साहित करने हेतु गृह ऋणों पर विस्तारित अतिरिक्त कर प्रोत्साहन।
- राष्ट्रीय आवास बैंक के सहारे निम्न लागत के सस्ते मकानों संबंधी मिशन गठित किया जाएगा।
- शहरी गरीब/ईडब्ल्यूएस/एलआईजी घटकों को सस्ते मकान हेतु सस्ता ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए प्राथमिक क्षेत्र की उधार में कमी के लिए राष्ट्रीय आवास बोर्ड से ₹ 4000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
- अधिक अंशदान करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों को गंदी बस्ती विकास में शामिल किया जाए।

अल्पसंख्यक

- अल्पसंख्यकों के विकास के लिए "कला, संसाधन और वस्तुओं के पारंपरिक कौशलों के उन्नयन हेतु" पुश्तैनी कला में कौशल और प्रशिक्षण के संवर्धन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु ₹100 करोड़ की अतिरिक्त राशि।

कृषि

- सरकार ₹ 100 करोड़ की आरंभिक राशि से असम और झारखंड में दो और उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित करेगी।

- "एग्री टेक अवसंरचना निधि" हेतु ₹ 100 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
- आंध्रप्रदेश और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय और तेलंगाना व हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय खोलने के लिए ₹ 200 करोड़ उपलब्ध कराए गए।
- प्रत्येक किसान को मिशन मोड में मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की योजना शुरू की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ ₹ 100 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं और देश भर में 100 चलती फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए अतिरिक्त ₹ 56 करोड़ उपलपब्ध कराए जाएंगे।
- जलवायु परिवर्तन की लहर का सामना करने के लिए ₹ 100 करोड़ आरंभिक राशि से "राष्ट्रीय अनुकूलन निधि" स्थापित की जाएगी।

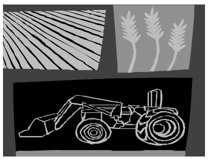

- कृषि में 4% की सतत वृद्धि दर हासिल की जाएगी।
- "प्रोटीन क्रांति" सहित उच्च उत्पादकता पर ध्यान देते हुए प्रौद्योगिकी चालित दूसरी हरित क्रांति प्रमुख ध्यान का क्षेत्र होगा।
- कृषि उत्पादों में मूल्य अस्थिरता के जोखिम को कम करने के लिए "मूल्य स्थिरीकरण निधि" की स्थापना हेतु ₹ 500 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है।

- अपने एपीएमसी अधिनियमों को पुनः उन्मुखी करने के लिए राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार निकटता से काम करेगी।
- स्वदेशी पशुओं की नस्लों के विकास के लिए ₹ 50 करोड़ और अंतर्देशीय मछलीपालन में मत्स्य क्रांति शुरू करने के लिए इतनी ही राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
- भाण्डागार क्षेत्र को बल देने के लिए परिवर्तन योजना और किसानों को महत्वपूर्ण फसल पश्चात उधर में सुधार करना।

कृषि ऋण

- भूमिहीन श्रमिकों को संस्थागत वित्तपोषण उपलब्ध कराते हुए यह प्रस्ताव है कि नाबार्ड के जरिए "**भूमिहीन किसान**" के 5 लाख संयुक्त कृषि वाले समूहों को वित्त उपलब्ध कराना।

- 2014-15 के दौरान कृषि ऋण हेतु ₹ 8 लाख करोड़ निर्धारित करने का लक्ष्य।
- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की धनराशि अंतरिम बजट में दिए गए अतिरिक्त ₹ 5000 करोड़ के लक्ष्य से बढ़ाकर ₹ 25000 करोड़ की गई।
- भांडागारण अवसंरचना नोधि हेतु ₹ 5,000 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया।
- सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित सहायता उपलब्ध कराने के लिए "दीर्घावधिक ग्रामीण क्रेडिट निधि" स्थापित की जाएगी।

- अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण हेतु ₹ 50,000 करोड़ की राशि आवंटित।
- अगले दो वर्षों में 2000 उत्पादक संगठनों के निर्माण के लिए नाबार्ड उत्पादक विकास और उत्थान आधारभूत निधि (प्रोड्यूस) हेतु ₹ 200 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

खाद्य सुरक्षा

- भारतीय खाद्य निगम की पुनर्संरचना करने, ढुलाई और वितरण संबंधी हानियों को कम करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए प्राथमिकता आधार पर प्रारंभ करना।
- सरकार समाज के कमजोर वर्गों को उचित कीमतों पर गेहूँ और चावल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
- सरकार यदि आवश्यक हो तो, कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए खुला बाजार बिक्री की शुरूआत करेगा।

उद्योग

- केन्द्रीय सरकार के विभागों और मंत्रालयों को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्राथमिकता आधार पर सेवाओं के लिए ई-बिज-एकल विंडों आईटी प्लेटफार्म के साथ जोड़ना।
- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा प्राधिकरण की स्थापना के लिए ₹100 करोड़ उपलब्ध कराना।

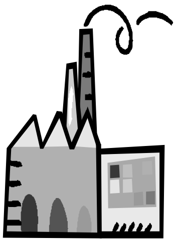

- अमृतसर कोलकात्ता औद्योगिक मास्टर योजना को शीघ्र पूरा किया जाना।
- चेन्नई-बंगलुरू औद्योगिक गलियारा क्षेत्र में 3 नए स्मार्ट शहरों की मास्टर योजना यथा; तमिलनाडु में पोन्नेरी, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और कर्नाटक में तुमकुर को पूरा किया जाना।
- 20 नए औद्योगिक कलस्टरों के प्रावधान वाले बंगलुरू मुम्बई आर्थिक गलियारा (बीएमईसी) हेतु संभावित योजना और विजाग-चेन्नई गलियारा को पूरा किया जाना।
- विनिर्माण और शहरीकरण में वृद्धि हेतु परिवहन संयोजकता से जुड़े स्मार्ट शहरों पर बल देते हुए औद्योगिक गलियारों के विकास में तेजी लाई जाएगी।
- एक छत के नीचे सभी स्टेक होल्डरों को लाने के लिए एक निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- प्रशिक्षुता अधिनियम को उपयुक्त ढंग से संशोधित किया जाएगा ताकि उद्योग और युवाओं को और उत्तरदायी बनाया जा सके।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र

- रोजगार-परक और उद्यम कौशलों पर बल देते हुए युवाओं के कौशल विकास के लिए कौशल भारत की शुरूआत करना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय अवसंरचना की जांच करने, बाधाओं को दूर करने और नए नियमों को तैयार करने और संरचनाओं के गठन किए जाने और तीन महिनों में ठोस सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया जाना।

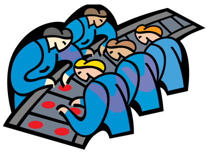

- उद्यम पूंजी निधियों, अर्ध-इक्विटी और कम ब्याज दर वाले ऋण और और अन्य जोखिम पूंजी के जरिए खासकर युवाओं द्वारा नए आयोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इक्विटी उपलब्ध कराने हेतु ₹10,000 करोड़ के आधारभूत निधि वाले निधियों की निधि की स्थापना की जाती है।

- ₹200 करोड़ की आधारभूत निधि वाले तकनीकी केन्द्र नेटवर्क की स्थापना की जाएगी।

- उच्चतर पूंजी की अधिकतम सीमा की व्यवस्था करने के लिए एमएसएमई की परिभाषा की पुनरीक्षा की जाएगी।

- विनिर्माण और सेवा सुपुर्दगी की बहु-मूल्य श्रृंखला वाले अगले और पिछले संयोजन को सुकर बनाने के लिए कार्यक्रम की स्थापना की जाएगी।

- लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए उद्यम अनुकूल विधिक दिवालिया फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा ताकि सुगम निकास को समर्थ बनाया जा सके।

- उद्यमिता में तेजी लाने के लिए नए अवधारणाओं और आवश्यक सहायता के ऊष्मायित्र के लिए एक राष्ट्रव्यापी "जिला स्तरीय ऊष्मायित्र और त्वरित कार्यक्रम" शुरू किए जाएंगें।

वस्त्र

- हथकरघा उत्पादों को विकसित करने और उन्हें बढावा देने के लिए एक व्यापार सुविधाकरण केन्द्र और एक शिल्प संग्रहालय की स्थापना हेतु ₹50 करोड़ उपलब्ध कराया गया है ताकि वाराणसी के हथकरघा की उच्च परम्परा को आगे बढ़ाया जा सके।

- वाराणसी और छह और स्थानों बरेली, लखनऊ, सूरत, कच्छ, भागलपुर और मैसूर में टेक्सटाइल मेगा-कलस्टर विकसित करने के लिए कुल ₹500 करोड़ का आबंटन।

- दिल्ली में पीपीपी प्रणाली में हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र के संरक्षण, बहाली और प्रलेखन के लिए हस्तकला अकादमी की स्थापना के लिए ₹20 करोड़ का आबंटन।

- पशमिना संवर्धन कार्यक्रम (पी-3) और जम्मू व कश्मीर के अन्य शिल्पों के विकास की शुरूआत के लिए ₹50 करोड़ उपलबध्‍ध कराया जाना।

अवसंरचना

- 4 पी इंडिया नामक पीपीपीपी को मुख्यधारा में लाने के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु ₹500 करोड़ की निधि वाले एक संस्थान की स्थापना की जाएगी।

पोत परिवहन

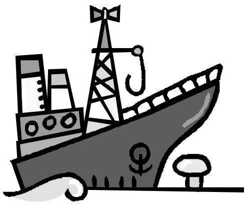

- चरण I हेतु तूतीकोरिन में बाह्य बंदरगाह परियोजना के विकास हेतु ₹11,635 करोड़ का आबंटन किया जाएगा।

- कांडला और जेएएनपीटी में विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा।

- भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति की घोषणा की जाएगी।

अन्तर देशीय नौवहन

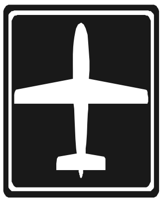

- इलाहाबाद और हल्दिया के बीच "जल मार्ग विकास" नामक गंगा परियोजना का विकास किया जाएगा।

नए हवाई अड्डे

- टियर-I और टियर-II शहरों में नए हवाई अड्डों के विकास हेतु योजना की शुरूआत की जाएगी।

सड़क क्षेत्र

- स्वीकृति संबंधी प्रचुर अड़चनों के निराकरण के साथ-साथ इस क्षेत्र में भारी मात्रा में निवेश की जरूरत है।

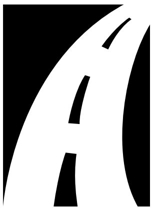

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य सड़कों के बीच ₹37,880 करोड़ की राशि का निवेश करने का प्रस्ताव है जिसमें पूर्वोत्तर के लिए ₹3000 करोड़ शामिल है।

- मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान, 8500 कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

- औद्योगिक गलियारों के सामांतर विकास के लिए चुनिंदा एक्सप्रेस मार्ग के कार्य की शुरूआत की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कुल ₹ 500 करोड़ दिए जाएंगे।

ऊर्जा

- ''अल्ट्रा-मॉडर्न सुपर क्रीटीकल कोयला आधारित ताप विद्युत प्रौद्योगिकी'' नामक नई योजना के लिए ₹100 करोड़ आबंटित किए गए हैं।

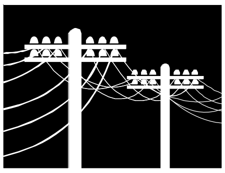

- घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यापक उपाय किए जा रहे हैं।

- उन विद्युत सयंत्रों को कोयले की पर्याप्त मात्रा प्रदान की जाएगी जो पहले से शुरु हो चुके हैं अथवा मार्च 2015 तक शुरु किए जाएंगे।

- कोयले को अधिक से अधिक ढोने तथा विद्युत की लागत को कम करने के लिए कोयला संयोजन को तर्कसंगत बनाने के लिए एक प्रक्रिया चल रही है।

नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा

- राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश तथा लद्दाख में अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए ₹500 करोड़ प्रदान किए गए।

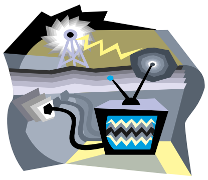

- सौर विद्युत प्रेरक कृषि पंपसैट तथा जल पंपिंग स्टेशनों के लिए योजना हेतु ₹400 करोड़ प्रदान किए गए।

- नहरों के किनारे 1 मेगावट के सौर पार्कों के विकास के लिए ₹100 करोड़ प्रदान किए गए।

- देश में नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण को सुकर बनाने के लिए हरित ऊर्जा कोरीडोर परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

- कोल बैड मीथेन भंडारों का उत्पादन और दोहन तेज किया जाएगा।
- पुराने और बंद कुओं को दोबारा चालू करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग की संभावना खोजी जाएगी।
- मिशन मॉड में पीएनजी का प्रयोग तेजी से बढ़ाया जाएगा।
- उपयुक्त पीपीपी मॉडलों का प्रयोग करते हुए पाइपलाइनों को विकसित करने का प्रस्ताव।

खनन

- खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने तथा संपोषणीय खनन प्रथाओं के संवर्धन के लिए, यदि आवश्यक हुआ, तो एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में परिवर्तन किए जाएंगे।

वित्तीय क्षेत्र

पूंजी बाजार

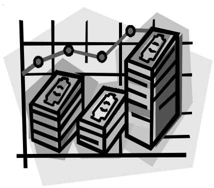

- भारतीय वित्तीय संहिता के अधिनियम के संबंध में सभी हितधारकों के साथ परामर्श की चल रही प्रक्रिया और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की रिपोर्टों को पूरा किया जाएगा।
- सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ घनिष्ट परामर्श से आधुनिक मौद्रिक नीतिगत रूपरेखा को तैयार किया है।
- पूंजी बाजारों को ऊर्जावान बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:
- समूचे द्वितीय क्षेत्र में एक समान केवाईसी मानदंड़ों तथा केवाईसी रिकार्डों की अंतर उपयोगिता को प्रारंभ करना;
- एक सिंगल ऑपरेटिंग डिमेट खाते को प्रारंभ करना।
- पेंशन निधि तथा म्युचूअल फंड से जुड़ी सेवानिवृत्ति योजना के लिए एक समान कर उपाय

बैंकिंग और बीमा क्षेत्र

बैंकिंग

- समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 15 अगस्त को वित्तीय समावेश मिशन नामक एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरु किया जाएगा।
- नम्य संरचना के साथ अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- बैंकों को न्यूनतम विनियमकारी पूर्व क्रय जैसे सीआरआर, एसएलआर तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के साथ अंवसंरचना क्षेत्र को उधार देने के लिए दीर्घावधिक निधियां जुटाने की अनुमति दी जाएगी।

- छोटे बैंकों तथा अन्य अलग से निर्धारित किए गए बैंकों की लाइसैंसिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक रूपरेखा सृजित करेगा।

- छोटे हितों को पूरा करने वाले अलग से निर्धारित किए गए बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों आदि पर छोटे व्यवसाय, असंगठित क्षेत्र, कम आय वाले परिवारों, किसानों और प्रवासी कार्य बल की ऋण और प्रेषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विचार-विमर्श किया गया है।

- छः नए ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किए जाएंगे।

- एमएसएमई क्षेत्र में उद्यम पूंजी के लिए, सहभागिता निजी निधियों में उपयुक्त कर प्रोत्साहन के साथ स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए इक्विटी, अर्ध-इक्विटी तथा अन्य जोखिम पूंजी के द्वारा निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु ₹10,000 करोड़ की निधि स्थापित की जाएगी।

बीमा क्षेत्र

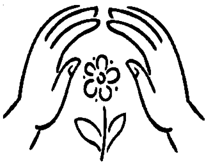

- लम्बित बीमा कानून (संशोधन) विधेयक तत्काल विचार के लिए संसद में लाया जाएगा।

- इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत विनियमकारी अंतराल को भरा जाएगा।

लघु बचतें

- किसान विकास पत्र (केवीपी) पुनः शुरु किए जाएंगे।

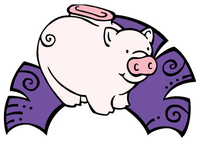

- बालिका की शिक्षा और विवाह की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष लघु बचत शुरु की जाएगी।

- लघु बचतकर्ता को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए बीमा कवर सहित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र।

- पीपीएफ योजना में, वार्षिक अधिकतम सीमा वर्तमान में ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख की जाएगी।

रक्षा और आंतरिक सुरक्षा

- ''एक रैंक एक पेंशन'' के लिए जरूरत को पूरा करने हेतु ₹1000 करोड़ की अतिरिक्त राशि।

- रक्षा के लिए पूंजीगत व्यय ₹5000 करोड़ बढ़ा दिया गया है जिसमें सीमा क्षेत्रों में रेलवे प्रणाली के विकास को गति प्रदान करने के लिए ₹1000 करोड़ की राशि शामिल हैं।

- अधिप्राप्ति प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए तत्काल कदम भी उठाए जाएंगे ताकि इसे तेज और अधिक दक्ष बनाया जा सके।

- प्रिंसेस पार्क में युद्ध स्मारक के निर्माण के लिए ₹100 करोड़ प्रदान किए गए हैं जिसे युद्ध संग्राहलय द्वारा संपूरित किया जाएगा। मैं इस प्रयोजन के लिए ₹100 करोड़ की राशि आवंटित कर रहा हूँ।

- रक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि स्थापित करने के लिए ₹100 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

आंतरिक सुरक्षा

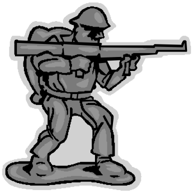

- राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए चालू वित्त वर्ष में ₹3000 करोड़ प्रदान किए गए हैं।
- वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायका हेतु पर्याप्त आवंटन।
- सीमावर्ती अवसंरचना को मजबूत बनाने तथा आधुनिक बनाने के लिए ₹2250 करोड़ प्रदान किए गए हैं।
- सीमावर्ती गावों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ₹990 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- मैरीन पुलिस स्टेशन, जेट्टी के निर्माण तथा किश्तियों आदि की खरीद के लिए ₹150 करोड़ की राशि चिन्हित की गई है।
- राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के निर्माण के लिए ₹50 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

संस्कृति और पर्यटन

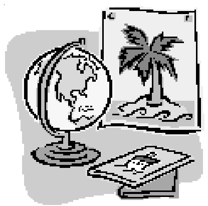

- एकता की मूर्ति (राष्ट्रीय परियोजना) के निर्माण के लिए ₹200 करोड़ प्रदान किए गए हैं।
- इलेक्ट्रानिक यात्रा प्राधिकरण (ई-वीजा) की सुविधा भारत के नौ हवाई अड्डों पर चरणबद्ध ढंग से शुरु की जाएगी।
- जिन देशों को इलेक्ट्रानिक यात्रा प्राधिकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी, उनका चरणबद्ध ढ़ंग से पता लगाया जाएगा।
- विशिष्ट विषयों पर 5 पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए ₹500 करोड़ प्रदान किए गए हैं।
- राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा नवीकरण तथा आध्यात्मिक आवर्धन अभियान मिशन (पीआरएएसएडी) के लिए ₹100 करोड़ प्रदान किए गए हैं।
- राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और आवर्धन योजना (एचआरआईडीएवाई) के लिए ₹200 करोड़ प्रदान किए गए हैं।
- पुरातात्विक स्थलों के परिरक्षण के लिए ₹100 करोड़ प्रदान किए गए हैं।
- समूचे विश्व से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सारनाथ-गया-वाराणसी बौद्ध सर्किट को विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा।

जल संसाधन और गंगा की सफाई

- नदियों को जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के लिए ₹100 करोड़ प्रदान किए गए हैं।
- समेकित गंगा संरक्षण मिशन ''नमामि गंगे'' के लिए ₹2037 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

- केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में घाट विकास और सौंदर्यकरण के लिए ₹100 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

- गंगा के लिए एनआरआई निधि स्थापित की जाएगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- तकनीकी अनुसंधान केन्द्रों के रुप में सरकार कम से कम पाँच संस्थाओं को मजबूत बनाएगी।

- फरीदाबाद और बंगलुरू में बायोटैक कलस्टरों का विकास।

- मोहाली में नवजात कृषि-बायोटैक कलस्टर विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पुणे और कोलकाता में दो नए कलस्टर स्थापित किये जाएगे।

- अंतर्रास्ट्रीय आनुवंशिक इंजीनियरिंग तथा जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीजीईबी) के दिल्ली घटक को जैव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में विश्व नेता के रूप में स्थानांतरित करने के लिए भारत के नेतृत्व के अंतर्गत वैश्विक सहभागिता को विकसित किया जाएगा।

- 2014-15 के लिए कई मुख्य अंतरिक्ष मिशनों की योजना बनाई गई।

खेल और युवा कार्य

- जम्मू और कश्मीर में इंडोर और आउटडोर खेल स्टेडियमों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक उन्नयन करने के लिए ₹200 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

- मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय के लिए ₹100 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

- हिमालय क्षेत्र के खेलों में बेजोड़ खेल परंपराओं के संवर्धन के लिए भारत एक वार्षिक प्रतियोगिता प्रारंभ करेगा।

- आगामी एशियाई खेलों के लिए महिला तथा पुरुष खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए ₹100 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

- ₹100 करोड़ के प्रारंभिक आवंटन के साथ ''युवा नेता कार्यक्रम'' स्थापित किया जाएगा।

पूर्वोत्तर राज्य

- पूर्वोत्तर राज्यों में आर्गेनिक खेती के विकास के लिए ₹100 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

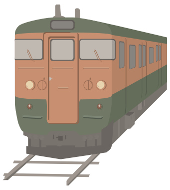

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल संपर्क के विकास के लिए ₹1000 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

- पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषायी पहचान के लिए मजबूत मंच प्रदान करने के लिए ''अरुण प्रथा'' नामक चौबीस घंटे का एक चैनल शुरु किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

- आंध्र प्रदेश - पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विकास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। केन्द्र सरकार के दायित्व को पूरा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने प्रावधान किया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

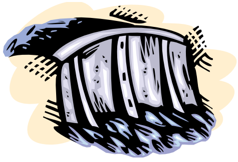

- दिल्ली को वास्तव में विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए विद्युत सुधारों के लिए ₹200 करोड़ तथा जल सुधारों के लिए ₹500 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

- राजधानी क्षेत्र के दीर्घावधिक जलापूर्ति मुद्दों को हल करने के लिए ₹50 करोड़ प्रदान किए गए हैं। बहुत समय से लंबित रेणु बांध का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरु किया जाएगा।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुडुचेरी

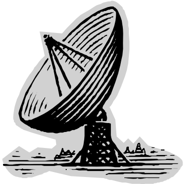

- द्वीप की संचार संबंधित समस्याओं को पूरा करने के लिए ₹150 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

- आपदा संबंधी तैयारी के लिए प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पुडुचेरी को ₹188 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

विस्थापित कश्मीरी प्रवासी

- विस्थापित कश्मीरी प्रवासियों को अपना जीवन पुनः बनाने के लिए सहायता देने हेतु ₹500 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

हिमालयी अध्ययन

- उत्तराखंड में राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए ₹100 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

बजट अनुमान

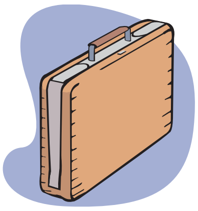

- राजकोषीय समेकन से समझौता किए बिना अधिदेश पूरा किया जाना।

- सशस्त्र बलों के लिए पूंजीगत व्यय और उर्वरक सब्सिडी हेतु अतिरिक्त प्रावधान के साथ ₹ 12,19,892 करोड़ का आयोजना-भिन्न व्यय।

- ₹ 5,75,000 करोड़ का आयोजना-व्यय 2013-14 के वास्तविक आंकडो की तुलना में 26.9 प्रतिशत की वृद्धि।

- कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में क्षमता सृजन, ग्रामीण सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों की अवसंरचना, रेल नेटवर्क विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा पहलें, जल संसाधनों का विकास और नदी संरक्षण योजनाओं के लक्ष्यों के लिए आयोजना में वृद्धि।

- ₹ 17,94,892 करोड़ के कुल व्यय का अनुमान।

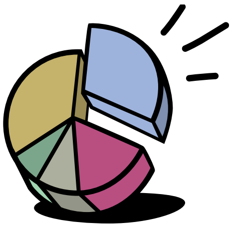

- ₹ 13,64,524 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों का अनुमान।

- ₹ 9,77,258 करोड़ का केन्द्र को निवल का अनुमान।

- स.घ.उ. का 4.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटा और 2.9 प्रतिशत का राजस्व घाटा अनुमानित।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किए आयोजना आबंटन को पृथक रूप से दर्शाती नई विवरणी। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ₹ 53,706 करोड़ का आबंटन।

- एससीएसपी के तहत ₹ 50,548 करोड़ और टीएसपी के तहत ₹ 32,387 करोड़ का आबंटन।

- महिलाओं के लिए ₹ 98,030 करोड़ और बच्चों के लिए ₹ 81,075 करोड़ का आबंटन।

कर प्रस्ताव

- अंतरिम बजट में उच्चाकांक्षी राजस्व संग्रहण के लक्ष्य। प्रस्तावित कर परिवर्तनों का बजट अनुमानों 2014-15 में पृथक्करण।

- अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार, विनिर्माण में निवेश संवर्धन, मुक्दमेबाजी में कमी लाने के लिए युक्तिसंगत कर प्रावधान, कुछ क्षेत्रों में असंगत शुल्क संरचना की समस्या का समाधान करने के लिए उपाय। व्यष्टि करदाताओं को कर राहतें।

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

- व्यक्तिगत आय-कर छूट सीमा 60 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यष्टि करदाताओं के लिए ₹ 50,000 तक बढ़ाकर अर्थात ₹ 2 लाख से बढ़ाकर ₹ 2.5 लाख और वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ₹ 2.5 लाख से बढ़ाकर ₹ 3 लाख करना।

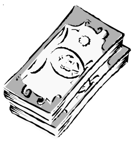

- कारपोरेट अथवा व्यष्टियों, एचयूएफ फर्मों आदि के लिए अधिभार की दर में कोई परिवर्तन नहीं।

- शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत पर बनाए रखना।

- आय-कर अधिनियम की धारा 80ग तहत निवेश सीमा ₹ 1 लाख से बढ़ाकर ₹ 1.5 लाख करना।

- स्वतः अधिभोग वाली आवास सम्पत्ति के संबंध में ऋण पर ब्याज के कारण कटौती सीमा ₹ 1.5 लाख से बढ़ाकर ₹ 2 लाख करना।

- अवसंरचना निवेश न्यासों और स्थावर सम्पदा निवेश न्यासों की साधक कर पद्धति। इनकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियमों के अनुरूप करना।

- किसी वर्ष में नये संयंत्र और मशीनरी में ₹ 25 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली विनिर्माण कंपनी को 15 प्रतिशत की दर से भत्ता। यह प्रसुविधा तीन वर्षों के लिए अर्थात 31.03.2017 तक किए गये निवेशों के लिए उपलब्ध कराना।

- निवेश संबद्ध कटौती दो नये क्षेत्रों, नामतः, लौह अयस्क की ढुलाई के लिए स्लरी पाइपलाइनों और सेमी-कंडकटर वेफर फैबरिकेशन यूनिटों तक बढ़ाना।

- 31.03.2017 तक विद्युत का उत्पादन, वितरण, और सम्प्रेषण शुरू करने वाले उपक्रमों को 10 वर्षों तक करावकाश।

- प्रतिभूतियों में लेन-देन से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की उदभूत आय को पूंजीगत अभिलाभ समझा जाना।

- बिना किसी अंतिम तारीख वाले विदेशी लाभांशो पर 15 प्रतिशत की रिआयती दर को बनाए रखना।

- ब्याज अदायगियों पर 5 प्रतिशत की रिआयती कर दर के लिए विदेशी मुद्रा में उधार की पात्रता तारीख को 30.06.2015 से 30.06.2017 तक बढ़ाना। केवल अवसंरचना बांडों के बजाय, सभी प्रकार के बांडों को यह कर-प्रोत्साहन बढ़ाना।

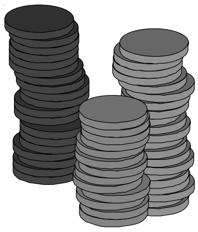

- अग्रिम मूल्य-निर्धारण करार (ए.पी.ए) योजना में एक "वापसी" प्रावधान शुरु करके भावी लेनदेनों के लिए निष्पादित ए.पी.ए. को निर्दिष्ट परिस्थितियों में पिछले चार वर्षों में किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों पर लागू करना।

- मूल्य-निर्धारण विनियमों में आसन्निकट मूल्य के अवधारण का रेज कंसैप्ट शुरु करना।

- मूल्य-निर्धारण विनियमों के तहत तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए कई वर्षों के आंकड़ों का उपयोग करने की अनुमति देना।

- कर अंतरापन को दूर करने की दृष्टि से म्यूचुअल फंडो की यूनिटों, इक्विटी परक निधियों के सिवाए, के अंतरण पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

- करों की निवल संदाय राशि की बजाए सकल राशि पर आय तथा लाभांश वितरण कर लगाना।

- संदायों पर कर की कटौती न करवाने के मामले में, 100 प्रतिशत के बजाए ऐसे संदायों के केवल 30% को अनुमति देना

- सरकार प्रत्यक्ष कर संहिता के वर्तमान स्वरूप का पुनर्विलोकन करेगी तथा संपूर्ण मामले पर ध्यान देगी।

- चालू वित्त वर्ष के दौरान 60 और सेवा केंद्र खोलकर सेवा सुपुर्दगी में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना।

- प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से कुल ₹ 22,000 करोड़ के राजस्व की हानि।

अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा असंगत (इनवर्टिड) शुल्कों के मामले को सुलझाने के लिए कतिपय मदों पर मूल सीमा-शुल्क (बीसीडी) घटाना।

- रसायन एवं पेट्रोरसायन सेक्टर में नये निवेश एवं क्षमता अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए, कतिपय मदों पर मूल सीमा शुल्क को घटाना।

- इलैक्ट्रोनिक मदों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने एवं आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए उपाय करना। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी करार के मेगाधिकार से बाहर के विनिर्दिष्ट कतिपय मदों पर मूल सीमा-शुल्क अधिरोपित करना व्यक्तिगत कम्प्यूटरों के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले सभी निविष्टियों/पूर्जो को शुल्क से मुक्त करना; समता लाने के लिए आयातित इलेक्ट्रोनिक उत्पाद पर शिक्षा उपकर अधरोपित करना आदि।

- कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए वहनीय बनाने और कैथोड रे टी.पी. को सस्ता करने के लिए कलर पिक्चर टयूबों को बुनियादी सीमा-शुल्क से छूट देना।

- भारत में 19 इंच से कम के एलसीडी और एलईडी टी.वी. के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, 19 इंच से कम के एलसीडी एवं एलईडी टी.वी. पैनलों पर लगने वाले बुनियादी सीमा-शुल्क को 10 प्रतिशत से शून्य करना।
- स्टेनलैस स्टील उद्योग को गति प्रदान करने के लिए, आयातित फ्लैट-रोल्ड उत्पादों पर लगने वाले बुनियादी सीमा-शुल्क को 5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत करना।
- सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना की स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनरी एवं उपस्कर पर 5 प्रतिशत का रिआयती बुनियादी सीमा-शुल्क।
- ईवीए शीटों एवं बैक शीटों के विनिर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली निर्दिष्ट निविष्टियां और पीवी रिबनों के विनिर्माण के लिए फ्लैट कॉपर वायर को बुनियादी सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना।
- पवन चालित बिजली जनरेटरों के बियरिंगों के विनिर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले फोर्जड स्टील रिंगों पर बुनियादी सीमा-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत। पवन चालित जनरेटरों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों एवं कच्चे माल पर लगने वाले 4 प्रतिशत के विशेष अतिरिक्त शुल्क को छूट।
- कंप्रैस्ड बाओ गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनरी एवं उपस्कर पर 5 प्रतिशत का रिआयत बुनियादी सीमा-शुल्क।
- अंथ्रेसाइट कोयले, बिटुमिनस कोयले, कोकिंग कोयले, स्टीम कोयले एवं अन्य कोयले पर 2.5 प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क और 2 प्रतिशत सीवीडी लगाना इससे कोयले के विभिन्न पैरामीटरों के परीक्षण से संबद्ध सभी निर्धारण विवाद और लेनदेन लागत समाप्त होगी।
- धातुकर्म कोक पर बुनियादी सीमा-शुल्क, कोकिंग कोयले पर लगने वाले शुल्क की तर्ज पर, शून्य से 2.5 प्रतिशत।

- पोत टूटन स्क्रैप और लौह या स्टील के मेल्टिंग स्क्रैप, तोड़ने के लिए आयातित पोतों पर लगने वाले बुनियादी सीमा-शुल्क को 5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत करना।
- दुरुपयोग रोकने एवं निर्धारण विवादों से बचने के लिए, अर्धप्रसंस्कृत, आदे कटे या टूटे हीरों, कटे एवं पॉलिश किए हुए हीरों और कलर रत्नों पर बुनियादी सीमा शुल्क 2.5 प्रतिशत पर युक्तिसंगत बनाना।
- निर्यात बढ़ाने, कीमती एवं कम कीमती रत्नों को बुनियादी सीमाशुल्क से पूरी तरह छूट देना।
- बने बनाए वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सजावट वाली वस्तुओं, सजने-संवरने वाली वस्तुओं एवं अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात के लिए शुल्क-मुक्त पात्रता उनके निर्यातों के मूल्य 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत।
- बाकनाइट पर निर्यात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत।
- सवारी सुविधा हेतु मुक्त सामान भत्ता ₹35,000 से बढ़ाकर ₹45,000।
- प्रसंस्करण क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य प्रसंकरण और पैकेजिंग मशीनरी पर उत्पाद शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत से 6 प्रतिशत।

- ₹ 500 प्रति जोड़ा से अधिक परन्तु ₹ 1,000 प्रति जोड़ा से कम खुदरा मूल्य वाले (फुटवियर) जूते-चप्पल पर उत्पाद शुल्क घटाकर 12 प्रतिशत से 6 प्रतिशत।
- स्मार्ट कार्डो पर रिआयती उत्पाद शुल्क हटाकर (2 प्रतिशत बिना सैनवैट लाभ के और सैनवैट लाभ के साथ 6 प्रतिशत) 12 प्रतिशत एक समान उत्पाद शुल्क।

- नवीकरण ऊर्जा विकसित करने के विभिन्न वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट।
- प्लास्टिक अपशिष्ट और स्कैप जिसमें पीईटी बोतल भी शामिल है से विनिर्मित पीएसएफ और पीएफवाई को 29 जून, 2010 से 7 मई 2012 तक उत्पाद शुल्क से छूट।
- ऐसे पीएसएफ और पीएफवाई पर सेनवैट लाभ के बिना संकेतिक 2 प्रतिशत तथा सेनवैट लाभ सहित 6 प्रतिशत शुल्क लगाने की संभावना।
- स्पोर्टस दस्तानों पर सेनवैट लाभ के बगैर 2 प्रतिशत और सेनवैट लाभ सहित 6 प्रतिशत रियाअती उत्पाद शुल्क।

- सिगरेट पर उथ्पाद शुल्क की विशिष्ट दरें बढ़ाकर 11 प्रतिशत से 72 के बीच रखी गई है।
- पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से 16 प्रतिशत, अविनिर्मित तम्बाकू पर 50 प्रतिशत से 55 प्रतिशत, गुटखा और चबाने वाले तम्बाकू पर 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत।
- चीनी युक्त वतित पानी पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क।
- स्वच्छ पर्यावरण की पहलों के वित्तपोषण हेतु स्वच्छ ऊर्जा उपकर ₹50 प्रति टन से बढ़ाकर ₹100 प्रति टन।

सेवा कर

- सेवा कर में कराधार बढ़ाने के लिए, प्रसारण मिडिया में विज्ञापन के लिए जगह या समय की बिक्री को बढ़ाकर ओन लाइन और मोबाइल विज्ञापन जैसी अन्य खण्डों की ऐसी बिक्रियों पर भी लगाना। प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापनों हेतु जगह की बिक्री को छूट बरकरार है। रेडियो टैकसी द्वारा दी जाने वाली सेवा को सेवा कर के दायरे में लाना।

- वातानुकूलित संविदा माल भाड़ा और मानव भागीदार पर नई विकसित औषधियों का तकनीकी परीक्षण सेवा कर में शामिल।
- भारतीय पोत परिवहन उद्योग का संवर्धन करने के लिए तटीय पोतों द्वारा माल ढलाई पर सेवा नियमावली के उपबंधों को संशोधित किया जाना और कर चोरी की घटना कम करना।
- पूर्ण रुपेण भारत के बाहर की जाने वाली यात्रा संबंधी विदेशी पर्यटकों हेतु भारतीय टूर ऑपरेटरों द्वारा दी जाने वाली सेवा को कर जाल से बाहर रखना तथा रेन्ट ए कैब और टूर ऑपरेटरो की सेवा हेतु सेनवैट ऋण पर्यटन संवर्धन के लिए अनुमत करना।
- जिन्नड अथवा बेलड कपास की लदाई, उतरई, भण्डारण, भण्डागारण और ढुलाई को सेवा कर से छूट।
- 1 जूलाई, 2012 की अवधी से पूर्व राज्य बीमा निगम द्वारा दी गई सेवा को सेवा कर से छूट।
- सभी जीवन सूक्षम-बीमा स्कीमों को शामिल करने के लिए विनिर्दिष्ट विस्तार की गई सूक्ष्म बीमा स्कीमों को जहां जीवन बीमा की आश्वस्त राशि ₹50,000 प्रति बीमित जीवन से अधिक न हो को छूट।

- चिकित्साय और उपचार संबंधी अवशिष्ट के सुरक्षित निपटान, सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा द्वारा प्रदत्त सेवाओं को छूट।

- अप्रत्यक्ष कर पक्ष में 7525 करोड़ रुपए के प्रतिफल का कर प्रस्ताव।

- सभी निर्यात वस्तुओं के संबंध में और 13 हवाई अड्डें और विनिर्दिष्ट आयात और निर्यात वस्तुओं संबंधी और 14 समुद्री पत्तनों मे 24x7 सीमा शुल्क निकासी सुविधा बढ़ाई गई ताकि कार्गों निकासी सुसाध्य बनाई जा सके।

- व्यापार सुसाध्य बनाने हेतु "भारतीय सीमा शुल्क सिंगल विन्डों प्रोजेक्ट" क्रियान्वित किया जाना।

- अप्रत्यक्ष करों में एडवांस रूलिंग को बढ़ाया जाना ताकि निवासी निजी लि. कंपनियों को शामिल किया जा सके। त्वरित विवाद निपटान हेतु निपटान आयोग का दायरा बढ़ाया जाएगा।

- अपीलों का शीघ्र निपटान करने के लिए सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियमों में संशोधन किया जाना।